



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: एफ.पी/बी.आर./रोड/142675/2021/176

दिनांक: 01.04.2026

सेवा में,

प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बिहार सरकार, सिंचाई भवन

पटना – 800015.

विषय:- शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-333A बरबीघा-शेखपुरा-सिकन्दरा-जमुई-झाझा-बाँका-पंजवारा झारखण्ड बॉर्डर तक (0.00-198.45 कि०मी० पैकेज-I) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 142.7368 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक श्रीमान द्वारा PARIVESH 1.0 के माध्यम से अग्रेषित वन अपयोजन प्रस्ताव संख्या एफ.पी/बी.आर./रोड/142675/2021 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि विषयान्तर्गत वर्णित परियोजना प्रस्ताव को अग्रेतर विचारार्थ क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC), क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के 91 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रस्ताव के समीक्षोपरान्त, समिति ने प्रस्ताव को अपूर्ण मानते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष जानकारी/दस्तावेज की अपेक्षा की है :

- I. Submission of justification for proposing a new highway section parallel to the existing road within the natural forest area of Jamui Division, instead of widening the existing alignment and also details of animal passes.
- II. Clarification on whether the project is a Central Government or State Government project, along with necessary corrections in the online application.
- III. Revision of the Compensatory Afforestation scheme to include required CA as per the VSS 2023 provisions as well as include provisions for fencing of the CA area, larger pit sizes, raising of tall saplings, and soil testing to ensure successful plantation.
- IV. Uploading of an accurate KML file reflecting the correct forest diversion area.

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित कर अनुगृहीत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम करवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

(शशि शंकर)

उप वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ.सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद पीर अलीखां मार्ग, पटना-800014.
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बाँका, जमुई एवं मुंगेर वन प्रमण्डल, बिहार।
3. कार्यपालक अभियंता, एनएच डिवीजन लखीसराय, मुंगेर।
4. गार्ड फाईल।